न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी—देवेन्द्र कुमार
आई0ए0एस0

रैफरेन्स प्रा0पत्र सं0 20/2001

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) महवा

.......प्रार्थी

बनाम

राजेन्द्रपुरी, ओमपुरी, रामानन्दपुरी, यादवानन्दपुरी, बलरामपुरी पि. शंकरपुरी निवासी ठेकडा, बादामी बेवा शंकरपुरी (फोत) तारादेवी, पुष्पादेवी, मधुदेवी पुत्री शंकरपुरी माता बादामी साकिन ठेकडा (बादामी के कायम मुकामान)

मानसिंह पुत्र सुरजा, श्रीराम पुत्र जवानसिंह, ज्ञानसिंह पुत्र शिवसिंह जाति गुर्जर निवासी भोपर शाहपुर

भूपेन्द्र कुमार पुत्र किस्तूर चंद जैन निवासी गहनोली

विश्वम्भरदयाल, राधामोहन पि0 कन्हैयालाल जाति महाजन निवासी महवा

....अप्रार्थीगण

रैफरेन्स अंतर्गत धारा 82 भू–राजस्व अधिनियम 1956
सपठित धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित—1. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता
2. श्री राजकुमार तिवाडी, अधिवक्ता अप्रार्थी शंकरपुरी के वारिसान की ओर से,

निर्णय

दिनांक: 24.07.2024

1. संक्षिप्त विवरण प्रार्थना पत्र रैफरेन्स इस प्रकार है। कि तहसीलदार महवा ने ग्राम ठेकडा के साबिक खसरा नंबर 59 से 61 व 67 हाल खसरा नंबर 221, 358 से 363, 375 से 384, 382/528, 384/529 जो कि एकीकरण खतौनी संवत 2020 में खाता सं0 52, 53 माफी मंदिर श्री महादेवजी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने से रैफरेन्स हेतु निवेदन किया है।
2. प्रार्थना पत्र रैफरेन्स दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी की गई। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।
3. राजकीय अधिवक्ता ने तहसीलदार महवा द्वारा प्रेषित रैफरेन्स के बिन्दुओं को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी (तहसीलदार महवा) आराजी खसरा नंबर (साबिक खसरा नंबर 59 से 61 व 67) हाल खसरा नंबर 221, 358 से 363, 375 से 384, 382/528, 384/529 स्थित ग्राम ठेकडा तहसील महवा का लैण्ड होल्डर है।
4. उक्त खसरा नंबरान मुताबिक एकीकरण खतौनी संवत 2020 खाता नंबर 52, 53 माफी मंदिर श्री महादेवजी व एतमाम पुजारी शंकरपुरी चेला मुरलीगिरी गुसाई सा0.देह की खातेदारी में दर्ज थी।
5. उक्त वर्णित भूमि को जमाबंदी संवत 2021 [illegible] खाता संख्या 46 शंकरपुरी चेला मुरलीगिरी गुसाई सा.देह व खाता [illegible] 47 [illegible] राधामोहन पि. कन्हैयालाल महाजन सा0.महवा के नाम के [illegible] दर्ज हो गयी। [illegible] के पश्चात नामान्तरण [illegible] 7 से उक्त भूमि राजेन्द्रपुरी, ओमपुरी, रामानन्दपुरी, यादवान[illegible]पुरी, बलरामपुरी पि. [illegible]पुरी, बादामी बेवा शंकरपुरी बहिब जाति गुसाई सा0देह के नाम दर्ज हो गयी। साथ ही खसरा नंबर 383, 384 मानसिंह पुत्र सुरजा, श्रीराम पुत्र जवानसिंह, ज्ञानसिंह पुत्र शिवसिंह गुर्जर

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.09.23 14:08:36 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर, दौसा

निवासी भोपर शाहपुर भूपेन्द्र कुमार पुत्र किस्तूरचन्द जैन नि0 गहनोली नामान्तरण सं0 23 के द्वारा दर्ज हो गयी और खसरा नंबर 383/528 व 384/529 विश्वम्भरदयाल, राधामोहन पि0 कन्हैयालाल महाजन निवासी महवा के नाम नामान्तरण सं0 24 से दर्ज हो गयी। इसके पश्चात खसरा नंबर 383, 384, 383/528, 384/529 के अलावा शेष आराजी का बंटवारा होने से नामान्तरण सं0 67 के अनुसार वर्तमान खातेदारी में पृथक–2 दर्ज हो चुकी है।

6. इस प्रकार चरण नंबर 03 में वर्णित भूमि के खातेदारी अधिकार भूमि में निहित है। इस प्रकार राज्य सरकार के परिपत्र 31606 रेवेन्यू जी/आर/497 जयपुर दिनांक 30.3.1977 के मद नं0 3 में हुआ हस्तान्तरण अवैध है और ऐसे हस्तान्तरण करने का कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है।

7. अवैध हस्तान्तरण होने के कारण राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के तहत मद सं0 5 में खाता संख्या 76, 71, 43 की प्रविष्टि निरस्त किये जाने योग्य है। अतः रैफरेन्स प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 82 भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण के नाम खाता सं0 76, 71 व 48 की प्रविष्ठि निरस्त कर उक्त वर्णित आराजी की खातेदारी का इन्द्राज माफी मंदिर श्री महादेवजी वाके ग्राम ठेकडा के नाम यथावत दर्ज फरमाई जावे।

8. अधिवक्ता अप्रार्थीगण राजेन्द्रपुरी, ओमपुरी, रामानन्दपुरी, यादवानन्दपुरी, बलरामपुरी पि. शंकरपुरी व तारादेवी, पुष्पादेवी, मधुदेवी पुत्री शंकरपुरी ने बहस में दलील दी कि अप्रार्थीगण के सक्षम आदेश से खातेदारी प्राप्त हुई है। भूमि मंदिर माफी की नहीं है। तहसीलदार महवा द्वारा अप्रार्थीगण को हैरान व परेशान करने की गरज से यह प्रा0पत्र रैफरेन्स प्रस्तुत किया गया है जिसे निरस्त फरमाया जावे।

9. शेष अप्रार्थीगण के बाद तामील अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावे।

10. हमने उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

11. प्रस्तुत प्रकरण में राजस्थान सरकार का परिपत्र क्रमांकः राज–6/2007/14 दिनांक 24.5. 2007 अवलोकनीय है जिसमें निम्नलिखित अंकित है:–

"राजस्थान सरकार द्वारा परिपत्र दिनांक 13.12.1991 की निरन्तरता में स्पष्ट किया जाता है कि मंदिर मूर्ति शाश्वत अव्यस्क है। अतः इसकी खातेदारी भूमि पर किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार नहीं मिल सकते है।"

"जागीरों के अधिग्रहण के समय जो भूमि मंदिर के नाम से जरिये पुजारी खुदकाश्त के रूप में दर्ज थी, उस भूमि में किसी भी अन्य व्यक्ति को काश्तकारी अधिकार प्राप्त नहीं होते है। मंदिर मूर्ति निरन्तर अव्यस्क व अन्य किसी व्यक्ति के माध्यम से जैसे पुजारी आदि के माध्यम से कार्य कर सकता है। इनके नाम से काश्त दर्ज होने पर काश्तकारी अधिकार प्राप्त नहीं होते है। ऐसे प्रकरणों में जिसमें मंदिर के पुजारियों के नाम भूमि दर्ज है, उनके निरस्तीकरण हेतु सक्षम न्यायालय में रैफरेन्स की कार्यवाही की जावे।"

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.09.23 14:08:36 IST
Reason: SelfAttested

"मंदिरों को माफी की भूमि जागीर में दी गई थी तथा राज0 भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952 के प्रभावी होने पर जागीरों के पुनर्ग्रहण के साथ–साथ ऐसी भूमियों का निस्तारण इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत किया गया जिसके अनुसार जो भूमि जागीरों के पुनर्ग्रहण के समय किसी व्यक्ति के पास

Devendra
जिला कलक्टर, दौसा

पट्टेदार या अन्य किसी नाम से दर्ज थी, उस भूमि को जागीर अधिग्रहण के समय उस व्यक्ति के नाम निरन्तर दर्ज करते हुए खातेदारी निरन्तर बनाये रखने के अधिकार प्रदान किये गये है। विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 13.12.1991 के अनुसरण में ऐसी भूमियों को वापिस मंदिर के नाम दर्ज किया जा रहा है, उचित नहीं है।''

''ऐसी भूमि के संबंध में जो माफी मंदिर की थी के संबंध में राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 9 में प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम के प्रभावी होने के समय जो व्यक्ति राजस्व रिकार्ड में पट्टेदार, खादिमदार, या अन्य किसी नाम से दर्ज थे वे निरन्तर खातेदार बने रहेंगे। धारा 9 निम्न प्रकार है:–

'' जागीर भूमियों में खातेदारी अधिकार–जागीर भूमि के प्रत्येक काश्तकार को जो इस अधिनियम के प्रारंभ के समय राजस्व अभिलेखों में एक खातेदार, पट्टेदार, खादिमदार के रूप में या अन्य रूप में जिसमें यह अर्न्तनिहित हो कि काश्तकार को काश्तकारी में आनुवांशिक और पूर्ण अन्तरण के अधिकार प्राप्त है, दर्ज है, ऐसे अधिकार प्राप्त रहेंगे और वह ऐसी भूमि के संबंध में खातेदार काश्तकार कहलायेगा।''

11. हमने भूमि एकीकरण विभाग खतौनी एकीकरण (जमाबंदी) ग्राम ठेकडा तहसील महवा संवत 2020 की प्रविष्टियां का अवलोकन किया जो कि इस प्रकार है

कसं	खाता नंबर	नाम उपभोक्ता पिता का जाति व निवास स्थान	नाम उपभोक्ता पिता का जाति व निवास स्थान	नाम कृषक पिता का नाम जाति निवास स्थान श्रेणी कृष कृषिकाल	खसरा नंबर मय नाम खेत	क्षेत्रफल
53	53	माफी मंदिर श्री महादेवजी व एहतमाम पुजारी शंकरपुरी पुत्र मुरलीगिरी गुसाई सा.देह		विश्वंभरदयाल, राधामोहन पि. कन्हैयालाल महाजन सा.महुवा	61	2 बीघा 4 बिस्वा
52	52	माफी मंदिर महादेवजी व एहतमाम पुजारी शंकरपुरी चेला मुरलीगिरी गुसाई सा.देह		जिम्मन नं. 6 खुदकाश्त	58 59 60 67	1बीघा 4बिस्वा 3 बिस्वा 28बीघा 4बिस्वा 1 बिस्वा
					4	29 बीघा 16बिस्वा

उपरोक्त एकीकरण जमाबंदी से यह सिद्ध होता है कि खाता सं0 53 में दर्ज भूमि में कृषक विश्वम्भरदयाल, राधामोहन पि. कन्हैयालाल महाजन दर्ज है। उक्त खसरे पर संबंधित कृषकों को खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये गये है जो कि जमाबंदी संवत 2021–2024 से अवलोकनीय है।

ग्राम ठेकडा की जमाबंदी संवत 2021 से 2024 की प्रविष्टि

खेवट व जमाबंदी की संख्या	भूमि अधिकारी (जागीरदार, उप जागीरदार)और मालगुजार, बिस्वेदार या जमीदार विवरण सहित	नाम कृषक विवरण सहित और कृषि काज	खसरा नंबर	क्षेत्रफल
46		विश्वंभरदयाल ... पि. कन्हैयालाल जाति महाजन नि. महवा	61	02 बीघा 4 बिस्वा

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.09.23 14:08:36 IST
Reason: SelfAttested

Devendra
जिला कलक्टर, दौसा

राजस्थान सरकार का परिपत्र कमांकः राज–6/2007/14 दिनांक 24.5.2007 जिसमें अंकित किया गया है कि ऐसी भूमि के संबंध में जो माफी मंदिर की थी के संबंध में राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 9 में प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम के प्रभावी होने के समय जो व्यक्ति राजस्व रिकार्ड में पट्टेदार, खादिमदार, या अन्य किसी नाम से दर्ज थे वे निरन्तर खातेदार बने रहेंगे। जैसाकि भूमि एकीकरण (जमाबंदी) 2020 में स्पष्ट है कि उक्त खसरे पर विश्वंभरदयाल, राधामोहन पि. कन्हैयालाल जाति महाजन नि. महवा खातेदार के रूप में काबिज थे। अतः उक्त खाते के संबंधित खातेदार का रैफरेन्स करना हम न्यायोचित नहीं समझते है।

उक्त एकीकरण जमाबंदी में खाता सं0 52 में वर्णित भूमि माफी मंदिर खुदकाश्त के रूप में अंकित रही है जिस पर बाद में खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये गये है जो कि ग्राम ठेकडा की जमाबंदी संवत 2021–2024 में अवलोकनीय है।

ग्राम ठेकडा की जमाबंदी संवत 2021 से 2024 की प्रविष्टिः–

खेवट व जमाबंदी की संख्या	भूमि अधिकारी (जागीरदार, उप जागीरदार)और मालगुजार, बिस्वेदार या जमीदार विवरण सहित	नाम कृषक विवरण सहित और कृषि काज	खसरा नंबर	क्षेत्रफल
47	सरकार	रजुम्सन	58	1 बीघा 4 बिस्वा
		शंकरपुरी चेला मुरलीगिरी गुसाई सा.देह	59 60 67	3 बिस्वा 28 बीघा 4 बिस्वा 1 बिस्वा

राजस्थान सरकार का परिपत्र कमांकः राज–6/2007/14 दिनांक 24.5.2007 जिसमें अंकित किया गया है कि जागीरों के अधिग्रहण के समय जो भूमि मंदिर के नाम से जरिये पुजारी खुदकाश्त के रूप में दर्ज थी, उस भूमि में किसी भी अन्य व्यक्ति को काश्तकारी अधिकार प्राप्त नहीं होते है। मंदिर मूर्ति निरन्तर अव्यस्क व अन्य किसी व्यक्ति के माध्यम से जैसे पुजारी आदि के माध्यम से कार्य कर सकता है। इनके नाम से काश्त दर्ज होने पर काश्तकारी अधिकार प्राप्त नहीं होते है। ऐसे प्रकरणों में जिसमें मंदिर के पुजारियों के नाम भूमि दर्ज है, उनके निरस्तीकरण की कार्यवाही सक्षम न्यायालय में रैफरेन्स की कार्यवाही की जावे। जैसाकि स्पष्ट है कि उक्त भूमि मंदिर माफी के नाम खुदकाश्त के रूप में दर्ज रही थी जिसे जमाबंदी संवत 2021–2024 में काश्तकार पुजारी शंकरपुरी चेला के नाम चढा दिया गया है जो कि नियम विरूद्ध है। अतः इस भूमि का रैफरेन्स किया जाना हम न्यायोचित समझते है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.09.23 14:08:36 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रकरण आंशिक रूप से रैफरेन्स योग्य पाया जाता है। तहसीलदार महवा को आदेशित किया जाता है कि भूमि एकीकरण खतौनी ग्राम ठेकडा तहसील महवा संवत 2020 जिसकी प्रविष्टि इस प्रकार रही है:–

Devendra
जिला कलक्टर, दौसा

भूमि एकीकरण विभाग खतौनी एकीकरण (जमाबंदी) ग्राम ठेकडा तहसील महवा संवत 2020

कसं	खाता नंबर	नाम उपभोक्ता पिता का जाति व निवास स्थान	नाम उपभोक्ता पिता का जाति व निवास स्थान	नाम कृषक पिता का नाम जाति निवास स्थान श्रेणी कृषक कृषिकाल	खसरा नंबर मय नाम खेत	क्षेत्रफल
52	52	माफी मंदिर महादेवजी व एहतमाम पुजारी शंकरपुरी चेला मुरलीगिरी गुसाई सा.देह		जिम्मन नं. 6 खुदकाश्त	58 59 60 67	1बीघा 4बिस्वा 4 बिस्वा 28बीघा 4बिस्वा 1 बिस्वा
					4	29 बीघा 16बिस्वा

जिसे जमाबंदी संवत 2021 से 2024 में काश्तकार के नाम चढा दिया गया था जो कि इस प्रकार है

ग्राम ठेकडा की जमाबंदी संवत 2021 से 2024 की प्रविष्टिः—

खेवट व जमाबंदी की संख्या	भूमि अधिकारी (जागीरदार, उप जागीरदार)और मालगुजार, बिस्वेदार या जमीदार विवरण सहित	नाम कृषक विवरण सहित और कृषि काज	खसरा नंबर	क्षेत्रफल
47	सरकार	रजुम्सन शंकरपुरी चेला मुरलीगिरी गुसाई सा.देह	58 59 60 67	1 बीघा 4 बिस्वा 3 बिस्वा 28 बीघा 4 बिस्वा 1 बिस्वा

का रैफरेन्स राजस्व मंडल में प्रस्तुत करें। संबंधित पक्षकारान को निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 18.09.2024 को माननीय राजस्व मंडल, अजमेर में उपस्थित होवें। तहसीलदार महवा को निर्देश दिये जाते हैं कि विवादित आराजी पर रैफरेन्स का नोट जमाबंदी में अंकन करवाना सुनिश्चित करे।

Devendra

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 24 जुलाई, 2024 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील सक्षम न्यायालय में 30 दिवस के भीतर की जा सकेगी।

Devendra

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.09.23 14:08:36 IST
Reason: SelfAttested